रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1997/ भाद्र 28, 1919
No. 375] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1997/ BHADRA 28, 1919

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1997

सं. 47/97-सीमाशुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 559(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

1. सीमाशुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन), मुम्बई,
2. सीमाशुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन), दिल्ली,
3. सीमाशुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन), चैन्नई,

को सीमाशुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है और प्रत्येक की अधिकारिता केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा उसे समनुदिष्ट मामलों के अधिनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण भारत पर होगी।

[फा. सं. 437/1/97-सीमाशुल्क IV]

विजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, 19th September, 1997

No. 47/97-Customs (N.T.)

G.S.R. 559(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints,

1. Commissioner of Customs (Adjudications), Bombay;
2. Commissioner of Customs (Adjudications), Delhi and
3. Commissioner of Customs (Adjudications), Chennai

as Commissioners of Customs each having jurisdiction over the whole of India, for the purpose of adjudicating the cases as may be assigned to him by the Central Board of Excise and Customs.

[F. No. 437/1/97-CUS.IV]

VIJAY KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997